न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 175/2023–24

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक– 171, दिनांक– 31.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक कोशल्या देवी, ~~पिता~~ पति– स्व0 धिरेन प्रसाद महतो, साकिम– भेलाटॉड़, पो0– नागनगर, थाना– बरवाअड्डा, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– भेलाटॉड़, मौजा नं0– 89, पुराना खाता सं0– 04, पुराना प्लॉट सं0– 2399, नया खाता सं0– 175, नया प्लॉट सं0– 1370, रकवा– 04 डिसमील भूमि क्रेता परमेश्वर महतो, पिता– मधुसूदन महतो, साकिम– ~~कांसीटांड़~~ छोटीपाटांड, थाना– जोगता, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी है तथा विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना– बरवाअड्डा, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 19.25 एकड़ भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

03/2024

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2024.07.02 16:17:11 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner